

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

स्टेट

बनाम

रफीक आलम वगै०

किस्म मुकदमा :-प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 186/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	<p>पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बड़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 8 केजेडी बी मु०नं० 123/01 के किला नं० 1, 2, 6 ता 25 व मु०नं० 123/09 के किला नं० 11, 12, 16 ता 21 कुल तादादी 19.16 बीघा क०/अ०क० कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।</p>	